एन सी संतोष

बनाम

कर्नाटक राज्य और अन्य।

(सिविल अपील संख्या 9280-9281 ऑफ़ 2014)

मार्च 04, 2020

[आर भानुमति, एएस बोपन्ना

और हृषिकेश रॉय, जेजे।]

सेवा कानून:

नियुक्ति - अनुकंपा नियुक्ति - यह पाए जाने पर रद्द कर दी गई कि नियुक्तियाँ 01/04/1999 से संशोधित कर्नाटक सिविल सेवा (अनुकंपा आधार पर नियुक्ति) नियम, 1996 के प्रावधानों से हटकर की गई थीं - नियुक्तियों द्वारा रद्दीकरण को चुनौती देने वाला आवेदन - ट्रिब्यूनल ने पाया कि आवेदक नियमों के तहत अयोग्य थे - ट्रिब्यूनल के आदेश की पुष्टि उच्च न्यायालय द्वारा की गई थी - सर्वोच्च न्यायालय में अपील - माना गया: आवेदन पर विचार करने की तिथि पर प्रचलित मानदंड अनुकंपा नियुक्ति के दावे पर विचार करने का आधार होना चाहिए - अनुकंपा नियुक्ति एक रियायत है और अधिकार नहीं - नियमों में निर्धारित मानदंड संतुष्ट होने चाहिए - अपीलकर्ताओं के आवेदन को नियम 5 के प्रावधान के अनुरूप नहीं होने के कारण प्रारंभिक स्तर पर खारिज कर दिया जाना चाहिए - कर्नाटक सिविल सेवा (अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति) नियम, 1996 – नियम 5 परंतुक।

कोर्ट ने अपील खारिज करते हुए

माना गया: 1. जबकि कर्नाटक सिविल सेवा (अनुकंपा आधार पर नियुक्ति) नियम, 1996 का नियम 5, जैसा कि मूल रूप से था, एक नाबालिग आश्रित को वयस्क होने के बाद एक वर्ष के भीतर आवेदन करने में सक्षम बनाता है, नियम बनाने वाला प्राधिकरण 01-04-1999 से प्रभावी संशोधन के साथ में अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवेदन करने के लिए सरकारी कर्मचारी की मृत्यु की तारीख से एक वर्ष की बाहरी सीमा निर्धारित की गई। संशोधित नियमों की वैधता को चुनौती नहीं दी गई है। संशोधन के बाद, मानदंड स्पष्ट रूप से सुझाव देते हैं कि पहले का प्रावधान जो नाबालिग आश्रित को वयस्क होने पर (सरकारी कर्मचारी की मृत्यु के वर्षों बाद भी) आवेदन करने में सक्षम बनाता था, समाप्त कर दिया गया है। संशोधित प्रावधान का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सरकारी कर्मचारी की मृत्यु के एक वर्ष से अधिक समय तक कोई

आवेदन दाखिल न किया जाए। माता-पिता की मृत्यु की तारीख से एक वर्ष के बाद किसी नाबालिग द्वारा आवेदन पर रोक लगाने का परिणाम केवल यह हो सकता है कि अपीलकर्ता अनुकंपा नियुक्ति के अयोग्य लाभार्थी थे क्योंकि उन्होंने अपने संबंधित माता-पिता की मृत्यु के एक वर्ष से अधिक समय बाद वयस्कता प्राप्त की थी। [पैरा 10]

2. वर्तमान मामलों में, जब सरकारी कर्मचारी की मृत्यु हुई, तो अपीलकर्ता नाबालिग थे और माता-पिता की मृत्यु के एक वर्ष से भी अधिक समय बाद वे 18 वर्ष के हो गए थे। आश्रितों ने अपने माता-पिता की मृत्यु की संबंधित तिथि से 2-6 वर्ष के अंतराल के बाद वयस्कता प्राप्त की और फिर उन्होंने नियुक्ति के लिए आवेदन किया। जब तक आश्रित बच्चे 18 वर्ष के हो गए, संशोधित प्रावधान 01/04/1999 से लागू हो गए। ऐसे में अनुकंपा नियुक्ति के लिए उनके विलंबित आवेदन को नियम 5 के प्रावधानों के अनुरूप नहीं होने के कारण शुरुआत में ही खारिज कर दिया जाना चाहिए था। [पैरा 11]

3. अपीलकर्ताओं के मामले दिनांक 28/5/2002 की अधिसूचना द्वारा शुरू किए गए नियम 9(3) के अस्थायी प्रावधान के अंतर्गत नहीं आते हैं। नियम 9(3) से पता चलता है कि यह नियुक्ति अनुकंपा के लिए आवेदन करने के लिए समय विस्तार देने वाला एक अस्थायी प्रावधान है। लेकिन अस्थायी प्रावधान 1999 में संशोधित नियम 5 के उल्लंघन में दायर आवेदन को बाहर करता है। दूसरे शब्दों में, नाबालिग आश्रितों द्वारा दायर आवेदन, जिन्होंने सरकारी सेवकों की मृत्यु की तारीख से एक वर्ष के भीतर वयस्कता प्राप्त नहीं की है, नियम 5 का उल्लंघन होगा। [पैरा 13]

4. यह अच्छी तरह से स्थापित है कि सभी सरकारी रिक्तियों के लिए सभी उम्मीदवारों को समान अवसर प्रदान किया जाना चाहिए जैसा कि संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 के तहत अनिवार्य है। हालाँकि, मृत कर्मचारी के आश्रित को दी जाने वाली अनुकंपा आधार पर नियुक्ति उक्त मानदंडों का अपवाद है। अनुकंपा नियुक्ति एक रियायत है न कि अधिकार और नियमों में निर्धारित मानदंडों को सभी उम्मीदवारों को पूरा करना होगा। [पैरा 14]

5. यह नहीं कहा जा सकता कि अपीलकर्ता के दावे पर सरकारी कर्मचारी की मृत्यु की तिथि पर प्रचलित नियमों के असंशोधित प्रावधानों के तहत विचार किया जाना चाहिए। आवेदन पर विचार की तिथि पर प्रचलित मानदंड, अनुकंपा नियुक्ति के दावे पर विचार करने का आधार होना चाहिए। सरकारी कर्मचारी की मृत्यु पर मिलने वाले किसी निहित अधिकार के अभाव में उसका आश्रित केवल अपने आवेदन पर विचार करने की मांग कर सकता है। हालाँकि, वह

सरकारी कर्मचारी की मृत्यु के दिन, लागू मानदंडों के अनुसार विचार करने का हकदार नहीं है। जब अपीलकर्ताओं के आवेदनों पर विचार किया गया तो वे अनुकंपा नियुक्ति के लिए अयोग्य थे और नियमों के नियम 5 के असंशोधित प्रावधान उन पर लागू नहीं होंगे। [पैरा 18, 20 और 21]

लोक निर्देश आयुक्त और अन्य बनाम के आर विश्वनाथ **(2005) 7 एससीसी 206: [2005] 2 पूरक एससीआर 1042 ;** *स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड बनाम मधुसूदन दास एवं अन्य।* **(2008) 15 एससीसी 560 : [2008] 14 एससीआर 824;** *एसबीआई बनाम राज कुमार* **(2010) 11 एससीसी 661;** *एमसीबी ग्रामीण बैंक बनाम चक्रवर्ती सिंह* **(2014) 13 एससीसी 583: [2013] 10 एससीआर 1;** *हिमाचल प्रदेश राज्य और अन्य बनाम शशि कुमार* **(2019) 3 एससीसी 653: [2019] 2 एससीआर 432 - पर भरोसा किया।**

केनरा बैंक और अन्य बनाम एम महेश कुमार **(2015) 7 एससीसी 412: [2015] 9 एससीआर 724;** *भारतीय स्टेट बैंक एवं अन्य। बनाम शिव शंकर तिवारी* **(2019) 5 एससीसी 600: [2019] 3 एससीआर 718 - संदर्भित।**

केस कानून संदर्भ

[2005] 2 पूरक एससीआर 1042	**पैरा 12**	**पर निर्भर था**
[2008] 14 एससीआर 824	**पैरा 14**	**पर निर्भर था**
[2010] 11 एससीसी 661	**पैरा 15**	**पर निर्भर था**
[2013] 10 एससीआर 1	**पैरा 15**	**पर निर्भर था**
[2015] 9 एससीआर 724	**पैरा 16**	**पर निर्भर था**
[2019] 3 एससीआर 718	**पैरा 17**	**को संदर्भित करता है**
[2019] 2 एससीआर 432	**पैरा 19**	**पर निर्भर करता है**

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: 2014 की सिविल अपील संख्या 9280- 9281

रिट याचिका संख्या 43199/2011 (एस-केएटी) और 2012 की समीक्षा याचिका संख्या 750 में क्रमशः बैंगलोर में कर्नाटक उच्च न्यायालय की डिवीजन बेंच के निर्णय और आदेश दिनांक 22/05/2012 और 09/11/2012 से

साथ

2020 की सिविल अपील संख्या 1996 और 2020 की सिविल अपील संख्या 1997।

सुश्री किरण सूरी, वरिष्ठ वकील, शांतकुमार वी महाले, प्रदीप सावकर, सैयद फैज़ान अली, अमिथ जे, राजेश महाले, एस जे अमिथ, पुरूषोत्तम शर्मा त्रिपाठी, सुश्री ऐश्वर्या कुमार, मुकेश सिंह, वी एन रघुपति, शुभ्रांशु पाधी, आशीष यादव, रक्षित जैन, उपस्थित पक्षों के लिए सलाह.

न्यायालय का निर्णय सुनाया गया ।

हृषिकेश रॉय, जे.

1. एसएलपी (सी) संख्या 34878/2013 और एसएलपी (सी) संख्या 24169/2015 में अनुमति दी गई।

2. यहां अपीलार्थी अनुकंपा नियुक्ति के लाभार्थी थे। लेकिन यह पता चलने पर कि उनकी नियुक्तियाँ 1/04/1999 से संशोधित कर्नाटक सिविल सेवा (अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति) नियम, 1996 (इसके बाद "नियम" के रूप में संदर्भित) के प्रावधानों से हटकर की गई थीं, वे नियुक्तियाँ रद्द कर दी गईं। रद्द किए गए नियम 5 के परंतुक में संशोधन में यह निर्धारित किया गया है कि मृत सरकारी कर्मचारी के नाबालिग आश्रित के मामले में, उसे सरकारी कर्मचारी की मृत्यु की तारीख से एक वर्ष के भीतर आवेदन करना होगा और आवेदन करने के दिन उसने अठारह वर्ष की आयु प्राप्त करनी होगी। संशोधन से पहले नाबालिग आश्रित को वयस्क होने के एक साल तक आवेदन करने का अधिकार था।

3. जब उनकी सेवा समाप्त कर दी गई तो व्यथित नियुक्तियों ने बैंगलोर में कर्नाटक प्रशासनिक न्यायाधिकरण (इसके बाद इसे "ट्रिब्यूनल™) कहा गया" का दरवाजा खटखटाया। लेकिन ट्रिब्यूनल ने पाया कि अपीलकर्ता नियमों के तहत नियुक्ति के लिए अयोग्य थे और तदनुसार संबंधित आवेदन खारिज कर दिए। परिणामी रिट याचिकाओं को बेंगलुरु में कर्नाटक उच्च न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया, जिसके परिणामस्वरूप वर्तमान अपीलें दायर की गईं।

4. हमने 2013 की एसएलपी (सी) संख्या 34878 से उत्पन्न अपील में अपीलकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील सुश्री किरण सूरी, 2014 के सीए संख्या 9280-9281 में उपस्थित विद्वान वकील श्री शांतकुमार वी महाले तथआ 2015 की एसएलपी (सी) संख्या 24169 से उत्पन्न अपील को सुना है। कर्नाटक राज्य का प्रतिनिधित्व संबंधित अपीलों में विद्वान वकील श्री वीएन रघुपति और श्री एस पाधी द्वारा किया जाता है।

5. उच्च न्यायालय द्वारा पुष्टि किए गए ट्रिब्यूनल के प्रतिकूल फैसले पर हमला करते हुए, अपीलकर्ताओं का तर्क है कि उन्हें अनुकंपा के आधार पर वैध रूप से नियुक्त किया गया है

और उन्होंने बिना किसी दोष के सेवा प्रदान की है और इसलिए, प्राधिकरण को संशोधित प्रावधानों को लागू करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए और इस आधार पर नियुक्ति रद्द करें कि नियुक्त व्यक्ति अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवेदन करने के लिए अयोग्य थे। विद्वान वरिष्ठ वकील सुश्री किरण सूरी का तर्क है कि नियम 5 केवल प्रक्रियात्मक है और अनिवार्य नहीं है और इसलिए, सरकारी कर्मचारी की मृत्यु के एक वर्ष के बाद वयस्कता प्राप्त करने वाले आश्रित बच्चों की अनुकंपा नियुक्ति को अमान्य नहीं माना जाना चाहिए। अपीलकर्ताओं के अनुसार, उनके मामलों पर असंशोधित नियमों के तहत विचार किया जाना चाहिए जो नाबालिग आश्रित को वयस्क होने के एक वर्ष के भीतर अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवेदन करने की अनुमति देता है। नियम 9 को एक संक्रमणकालीन प्रावधान के रूप में वर्णित करते हुए, जिसके तहत आवेदन करने की अवधि को विभिन्न संशोधनों के माध्यम से बदल दिया गया है, अपीलकर्ताओं के वकील का तर्क है कि संशोधित प्रावधानों के पूर्वव्यापी आवेदन से नियुक्ति रद्द नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा, चूंकि अनुकंपा नियुक्ति की पेशकश लाभार्थी द्वारा बिना किसी गलत बयानी के की गई थी, इसलिए अपीलकर्ताओं को अब नियुक्ति पाने वालों की गैर-पात्रता के आधार पर बेरोजगार नहीं किया जाना चाहिए।

6. दूसरी ओर, उत्तरदाताओं का तर्क है कि विचार के चरण में लागू मानदंड प्रासंगिक हैं और यहां चूंकि अपीलकर्ताओं ने सरकारी कर्मचारी की मृत्यु के एक वर्ष के भीतर वयस्कता प्राप्त नहीं की थी, वे अनुकंपा नियमों के संशोधित प्रावधानों के तहत अनुकंपा नियुक्ति पाने के लिए अयोग्य थे। सरकारी वकील का तर्क है कि चूंकि अनुकंपा नियुक्ति राज्य की सेवा में नियुक्ति को नियंत्रित करने वाले सामान्य नियम का अपवाद है, इसलिए इसे निर्धारित नियमों के अनुरूप होना चाहिए और नियमों के तहत अयोग्य लोग अवैध नियुक्ति को जारी रखने की मांग नहीं कर सकते हैं। उत्तरदाताओं का यह भी तर्क है कि सरकार के पास गलती को सुधारने और अवैध नियुक्ति आदेशों को वापस लेने की शक्ति है क्योंकि अपीलकर्ताओं को अयोग्यता के बावजूद गलत तरीके से नियुक्त किया गया था।

7. अपीलकर्ताओं के आवश्यक विवरण निम्नलिखित चार्ट में देखे जा सकते हैं:-

केस	सी.ए. नं0- 9280-9281/2014 (एन.सी. सन्तोष)	सी.ए. @ एस.एल.पी.(सी) नं0-34878/2013 (सईदा एफ. बानो)	सी.ए.@ एस.एल.पी.(सी) नं0-24169/2015 (श्री सन्तोष)
मृतक सरकारी कर्मचारी	एन.एच. चन्द्रा गौड़ा	शकीला जबीना आरा बेगम	एम. इंद्रन्ना रेड्डी

आश्रित/नियुक्त	एन.सी. संतोष	सईदा फरहीन बानो	श्री संतोष
जन्म तिथि	25.06.1982	12.05.1982	24.03.1983
माता-पिता की मृत्यु	25.01.1998	24.05.1994	11.11.1998
अल्पव्यस्क का बहुमत	25.06.2000	12.05.2000	24.03.2001
अनुकंपा नियुक्ति हेतु आवेदन	सबसे पहले मां ने 28.2.1998 को आवेदन किया. फिर वयस्क होने के बाद अपीलकर्ता ने 29.06.2000 को आवेदन किया।	पहले पिता ने आवेदन किया लेकिन 12.6.1997 को खारिज कर दिया गया। फिर वयस्क होने के बाद अपीलकर्ता ने 25.09.2000 को आवेदन किया	1.7.2001
नियुक्ति	4.11.2003	I. 15.6.2005 लेकिन ट्रिब्यूनल के आदेश पर 4.01.2006 को बहाल कर दिया गया। II. 28.12.2006 को पुनः हटा दिया गया और 2.1.2007 को अनुशासनात्मक आधार पर कार्यमुक्त कर दिया गया	18.2.2007
कर्नाटक प्रशासनिक न्यायाधिकरण	2.7.2008	21.4.2009 - अनुशासनात्मक कार्रवाई की आवश्यकता नहीं है लेकिन अयोग्य नियुक्ति के लिए बर्खास्तगी को बरकरार रखा गया।	15.6.2011
बैंगलोर उच्च न्यायालय	22.5.2012 (डब्ल्यू.पी.) और 9.11.2012 (समीक्षा)	14.8.2013	2.12.2011

8.1 इस मामले में, 24/5/1994 को अपीलकर्ता की मां की मृत्यु पर, सईदा एफ बानो द्वारा दायर एसएलपी (सी) संख्या 34878/2013 से उत्पन्न अपील से संबंधित तथ्यात्मक विवरण को पूरा करने के लिए कुछ अतिरिक्त पहलू पर ध्यान देने की आवश्यकता है। सबसे पहले, अपीलकर्ता के पिता द्वारा उन्हें अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति प्रदान करने का अनुरोध किया गया था, जिसे हालांकि, 12/6/1997 को अधिकारियों द्वारा अस्वीकार कर दिया गया था। इसके बाद, अपीलकर्ता ने 12/5/2000 को वयस्क होने के बाद 25/9/2000 को अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवेदन किया और 20/9/2001 को द्वितीय श्रेणी सहायक के रूप में नियुक्त किया गया। उसे इस आधार पर दिनांक 2/6/2005 को कारण बताओ नोटिस दिया गया था कि उसने सरकारी कर्मचारी की मृत्यु की तारीख से एक वर्ष के भीतर 18 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं की थी और तदनुसार, आदेश दिनांक 15/6/2005 द्वारा उसकी सेवा समाप्त कर दी गई थी।

8.2 समाप्ति के आदेश को चुनौती देते हुए अपीलकर्ता ने ट्रिब्यूनल के समक्ष आवेदन दायर किया। ट्रिब्यूनल ने दिनांक 20/10/2005 के आदेश के तहत समाप्ति आदेश को यह कहते हुए रद्द कर दिया कि अपीलकर्ता की सेवा कर्नाटक सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम, 1957 के नियम 11 के तहत उचित जांच किए बिना समाप्त कर दी गई थी और कानून के अनुसार राज्य को स्वतंत्रता सुरक्षित रखते हुए, उसकी बहाली का निर्देश दिया।

8.3 ट्रिब्यूनल के आदेश के अनुसार, अपीलकर्ता को 04/01/2006 को सेवा में बहाल कर दिया गया। इसके बाद, उसके खिलाफ उक्त नियमों के नियम 11 के तहत एक जांच शुरू की गई थी, जिसमें अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति की मांग के लिए आवेदन जमा करते समय उसकी उम्र के बारे में कदाचार और गलत बयानी का आरोप लगाया गया था। अपीलकर्ता को दिनांक 28/12/2006 के आदेश द्वारा सेवा से हटा दिया गया और जब 30/08/2007 को अपीलीय प्राधिकरण द्वारा उसकी अपील खारिज कर दी गई, तो उसने फिर से ट्रिब्यूनल का दरवाजा खटखटाया। OA N0 4901/2007 के तहत, ट्रिब्यूनल ने अपने आदेश दिनांक 21/04/2009 द्वारा पाया कि अपीलकर्ता की ओर से कोई कदाचार नहीं था। फिर भी ट्रिब्यूनल ने इस निष्कर्ष के साथ नियुक्ति को रद्द करने की पुष्टि की कि नियुक्ति केसीएस (अनुकंपा आधार पर नियुक्ति) नियमों के संशोधित नियम 5 से हटकर की गई थी और इस प्रकार, नियुक्ति को रद्द करना ट्रिब्यूनल द्वारा उचित पाया गया था। दिनांक 03/12/2009 के आदेश द्वारा अपीलकर्ता की समीक्षा याचिका भी खारिज कर दी गई। अपीलकर्ता द्वारा उसकी नियुक्ति रद्द करने और

ट्रिब्यूनल के आदेश को चुनौती देने वाली परिणामी रिट याचिका, उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 14/08/2013 के फैसले के तहत खारिज कर दी गई थी।

8.4 हालाँकि, सईदा फरहीन बानो से संबंधित अपील में कुछ अतिरिक्त तथ्यात्मक विवरण देखे गए हैं, लेकिन मुख्य मुद्दा अन्य मामलों से अलग नहीं है। यहां भी सवाल यह है कि क्या अनुकंपा के आधार पर उनकी नियुक्ति, कर्नाटक सिविल सेवा (अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति) नियम, 1998 का उल्लंघन थी।

9. नियुक्ति रद्द करने में उत्तरदाताओं द्वारा की गई कार्रवाई कर्नाटक सिविल सेवा (अनुकंपा आधार पर नियुक्ति) नियम, 1996 के प्रावधानों के तहत है और इसलिए प्रासंगिक नियम यहां नीचे दिए गए हैं: -

पढ़ता है:

असंशोधित नियम 5

"मृत सरकारी सेवक के प्रत्येक आश्रित को, इन नियमों के तहत नियुक्ति की मांग करते हुए, सरकारी सेवक की मृत्यु की तारीख से एक वर्ष के भीतर, ऐसे प्रारूप में, जैसा कि सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किया जा सकता है, आवेदन करना होगा। उस विभाग का प्रमुख जिसके अधीन मृत सरकारी सेवक कार्यरत था।

बशर्ते कि नाबालिग के मामले में, वयस्क होने के एक वर्ष की अवधि के भीतर आवेदन किया जाएगा।

निम्नलिखित संशोधन प्रभावी 1.04.1999 नियम 5 का परंतुक इस प्रकार है:-

"..... .....

बशर्ते कि नाबालिग के मामले में, उसे सरकारी कर्मचारी की मृत्यु की तारीख से एक वर्ष के भीतर आवेदन करना होगा और आवेदन करने की तिथि पर उसकी आयु अठारह वर्ष होनी चाहिए।

बशर्ते कि पहले प्रावधान में कुछ भी मृत सरकारी सेवक के आश्रित द्वारा वयस्कता प्राप्त करने के बाद किए गए आवेदन पर लागू नहीं होगा और जो कर्नाटक सिविल सेवा (अनुकंपा आधार पर नियुक्ति) (संशोधन)) नियम, 1998 के प्रारंभ की तारीख पर विचार के लिए लंबित था।"

28.05.2002 के संशोधन के बाद, नियम 9(3) इस प्रकार है:-

9(3) : सरकारी सेवकों के आश्रितों द्वारा अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के लिए सितंबर 1996 के 13 दिन और कर्नाटक सिविल सेवा (अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति) 3rd

संशोधन नियम, 2002 के प्रारंभ की तारीख के बीच किए गए सभी आवेदन 20 अक्टूबर 1989 को या उसके बाद मृत्यु हो गई (ऐसे आश्रितों द्वारा अप्रैल, 1999 के पहले दिन के बाद और नियम 5 के पहले प्रावधान के उल्लंघन में ऐसे प्रारंभ की तारीख तक किए गए आवेदन के अलावा) जो हैं:

(i) इस आधार पर खारिज कर दिया गया कि वे नियम 5 में निर्दिष्ट अवधि के भीतर नहीं बनाए गए थे, या

(ii) प्रारंभ की ऐसी तारीख पर लंबित, नियम 5 के तहत निर्दिष्ट अवधि के भीतर किया गया माना जाएगा और इस पर पुनर्विचार किया जाएगा या इन नियमों के अन्य प्रावधानों के अधीन नियुक्ति के लिए विचार किया जा सकता है।

10. जबकि नियम 5 जैसा कि मूल रूप से था, एक नाबालिग आश्रित को वयस्क होने के बाद एक वर्ष के भीतर आवेदन करने में सक्षम बनाता थानियम बनाने वाले प्राधिकारी ने 01-04-1999 से प्रभावी संशोधन के साथ अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवेदन करने के लिए सरकारी कर्मचारी की मृत्यु की तारीख से एक वर्ष की बाहरी सीमा निर्धारित की। संशोधित नियमों की वैधता को मौजूदा किसी भी कार्यवाही में चुनौती नहीं दी गई है। संशोधन के बाद मानदंड स्पष्ट रूप से सुझाव देते हैं कि पहले का प्रावधान जो नाबालिग आश्रित को वयस्क होने पर (सरकारी कर्मचारी की मृत्यु के वर्षों बाद भी) आवेदन करने में सक्षम बनाता था, समाप्त कर दिया गया है। संशोधित प्रावधान का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सरकारी कर्मचारी की मृत्यु के एक वर्ष से अधिक समय तक कोई आवेदन दाखिल न किया जाए। माता-पिता की मृत्यु की तारीख से एक वर्ष के बाद किसी नाबालिग द्वारा आवेदन पर रोक लगाने का परिणाम केवल यह हो सकता है कि अपीलकर्ता अनुकंपा नियुक्ति के अयोग्य लाभार्थी थे क्योंकि उन्होंने अपने संबंधित माता-पिता की मृत्यु के एक वर्ष से अधिक समय बाद वयस्कता प्राप्त की थी।

11. इन सभी मामलों में, जब सरकारी कर्मचारी की मृत्यु हुई, अपीलकर्ता नाबालिग थे और माता-पिता की मृत्यु के एक वर्ष से भी अधिक समय बाद वे 18 वर्ष के हो गए थे। जैसा कि चार्ट में विवरण से देखा जा सकता है, आश्रितों ने अपने माता-पिता की मृत्यु की संबंधित तिथि से 2-6 वर्षों के अंतराल के बाद वयस्कता प्राप्त की और फिर उन्होंने नियुक्ति के लिए आवेदन किया। जब तक आश्रित बच्चे 18 वर्ष के हो गए, संशोधित प्रावधान 01/04/1999 से लागू हो गए। इस प्रकार, अनुकंपा नियुक्ति के लिए उनके विलंबित आवेदन को नियम 5 के प्रावधान के अनुरूप नहीं होने के कारण प्रारंभिक सीमा पर ही खारिज कर दिया जाना चाहिए था।

अपीलकर्ताओं ने अनुकंपा नियुक्ति के लिए (वयस्कता प्राप्त करने के बाद) आवेदन किया था, जो तिथि से एक वर्ष की निर्धारित अवधि से काफी अधिक था। माता-पिता की मृत्यु के कारण, और इसलिए, नियमों का उल्लंघन होने के कारण उन आवेदनों पर विचार नहीं किया जाना चाहिए था।

12. कर्नाटक सिविल सेवा (अनुकंपा आधार पर नियुक्ति) नियम, 1996 के प्रावधान पर लोक निर्देश और अन्य आयुक्त बनाम के आर विश्वनाथ' मामले में विचार किया गया था। खंडपीठ के लिए बोलते हुए, डॉ. न्यायमूर्ति अरिजीत पसायत ने कहा कि संशोधित दूसरे प्रावधान का प्रभाव यह है कि, जब तक कि संशोधन नियमों के शुरू होने के समय आवेदन लंबित नहीं है, अनुकंपा नियुक्ति के दावे पर इसका कोई असर नहीं हो सकता है। इस प्रकार, सरकारी कर्मचारी की मृत्यु की तारीख से एक वर्ष से अधिक के वयस्क होने पर आश्रित द्वारा देर से दायर किया गया आवेदन, नियमों के प्रावधानों के अनुरूप, वैध आवेदन नहीं होगा।

13. जहां तक नियमों के नियम 9(3) के आधार पर नियुक्ति की वैधता के अपीलकर्ता के दावे का सवाल है, नियम 9(3) को पढ़ने से पता चलता है कि यह अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवेदन करने के लिए समय विस्तार देने वाला एक अस्थायी प्रावधान है। लेकिन अस्थायी प्रावधान 1999 में संशोधित नियम 5 के उल्लंघन में दायर आवेदन को बाहर करता है। दूसरे शब्दों में, नाबालिग आश्रितों द्वारा दायर आवेदन, जिन्होंने सरकारी सेवकों की मृत्यु की तारीख से एक वर्ष के भीतर वयस्कता प्राप्त नहीं की है, नियम का उल्लंघन होंगे। इसलिए, हमारा मानना है कि अपीलकर्ताओं के मामले दिनांक 28/5/2002 की अधिसूचना द्वारा शुरू किए गए नियम 9(3) के अस्थायी प्रावधान के अंतर्गत नहीं आते हैं।

14. यह अच्छी तरह से स्थापित है कि सभी सरकारी रिक्तियों के लिए सभी उम्मीदवारों को समान अवसर प्रदान किया जाना चाहिए जैसा कि संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 के तहत अनिवार्य है। हालाँकि, मृत कर्मचारी के आश्रित को दी जाने वाली अनुकंपा आधार पर नियुक्ति उक्त मानदंडों का अपवाद है। *स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड बनाम मधुसूदन दास एवं अन्य में।* तदनुसार यह टिप्पणी की गई कि अनुकंपा नियुक्ति एक रियायत है न कि अधिकार और नियमों में निर्धारित मानदंडों को सभी उम्मीदवारों द्वारा पूरा किया जाना चाहिए।

15. *एसबीआई बनाम राज कुमार* मामले में इस न्यायालय ने यह दोहराते हुए कि किसी भी अभ्यर्थी को अनुकंपा नियुक्ति का दावा करने का निहित अधिकार नहीं है, घोषित किया कि जब आवेदन पर वास्तव में विचार किया जाएगा तो जो मानदंड लागू होंगे, वे लागू होंगे। इस

निर्णय में नियोक्ता के अपनी नीतियों के आधार पर योजना को संशोधित करने के अधिकार को मान्यता दी गई थी। इसी तरह *एमसीबी ग्रामीण बैंक बनाम चक्रवर्ती सिंह में*। इस न्यायालय ने दोहराया कि अनुकंपा नियुक्ति पर प्रचलित योजना के अनुसार विचार किया जाना चाहिए और कोई भी इच्छुक यह दावा नहीं कर सकता है कि उसकी सरकारी कर्मचारी की मृत्यु की तिथि पर विद्यमान योजना के अनुसार मामले पर विचार किया जाना चाहिए।

16. हालाँकि, *केनरा बैंक और अन्य बनाम* एम महेश कुमार में नीति में प्रमुख बदलाव के संदर्भ में, अनुकंपा नियुक्ति (दिनांक 8/5/1993 की योजना द्वारा परिकल्पित) के बजाय, अनुग्रह भुगतान का प्रस्ताव किया गया था (परिपत्र के तहत) दिनांक 14/02/2005), न्यायालय ने एक अलग दृष्टिकोण अपनाया। नियुक्ति का दावा करने के अधिकार की समाप्ति पर ध्यान देते हुए, इस न्यायालय ने कर्मचारी की मृत्यु पर प्रचलित "डाइंग इन हार्नेस स्कीम" को विचार का आधार माना।

17. न्यायमूर्ति उदय यू ललित की अध्यक्षता वाली दो न्यायाधीशों की पीठ ने *एसबीआई बनाम राज कुमार (सुप्रा)* और *एमसीबी ग्रामीण बैंक बनाम चक्रवर्ती सिंह (सुप्रा)* में सुप्रीम कोर्ट के दृष्टिकोण को एक तरफ देखा और *केनरा बैंक और अन्य बनाम एम महेश कुमार (सुप्रा)* में इसके विपरीत दृष्टिकोण को देखा और इस परस्पर विरोधी प्रश्न के समाधान की आवश्यकता महसूस की गई कि क्या मृत्यु की तारीख पर या आवेदन पर विचार की तारीख पर लागू मानदंड लागू होने चाहिए। तदनुसार, *भारतीय स्टेट बैंक एवं अन्य बनाम शिव शंकर तिवारी* मामले में न्यायालय ने मामले को एक बड़ी पीठ के पास विचार के लिए भेजा ताकि परस्पर विरोधी विचारों को सुलझाया जा सके।

18. उपरोक्त चर्चा से पता चलता है कि *केनरा बैंक और अन्य बनाम एम महेश कुमार (सुप्रा)* में अपनाए गए दृष्टिकोण को पहले के दो निर्णयों में समन्वय पीठ के विपरीत दृष्टिकोण के साथ समेटा जाना चाहिए। इसलिए, केनरा बैंक और अन्य बनाम एम महेश कुमार (सुप्रा) पर अपीलकर्ता के वकील द्वारा रखी गई मजबूत निर्भरता के बावजूद, साथ ही उदय कृष्ण नाइक बनाम कर्नाटक राज्य और अन्य में कर्नाटक उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश की राय के बावजूद, यह हो सकता है ऐसा नहीं कहा जा सकता कि अपीलकर्ता के दावे पर सरकारी कर्मचारी की मृत्यु की तिथि पर प्रचलित नियमों के असंशोधित प्रावधानों के तहत विचार किया जाना चाहिए।

19. *हिमाचल प्रदेश राज्य और अन्य बनाम शशि कुमार* के हालिया फैसले में अनुकंपा नियुक्ति के सिद्धांतों को नियंत्रित करने वाले पहले के फैसलों पर चर्चा और विश्लेषण किया गया। पीठ के लिए बोलते हुए, डॉ. न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ ने दोहराया कि राज्य की सेवा में किसी भी सार्वजनिक पद पर नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 के अनुरूप सिद्धांतों के आधार पर की जानी है और अनुकंपा नियुक्ति सामान्य नियम का अपवाद है। एक मृत सरकारी कर्मचारी के आश्रित को अनुकंपा नियुक्ति पर नीति के आधार पर पात्र बनाया जाता है और उन्हें राज्य की नीति द्वारा निर्धारित मानदंडों को पूरा करना होगा।

20. उपरोक्त उद्धृत निर्णयों से निकाले गए अनुकंपा नियुक्ति को नियंत्रित करने वाले कानून को लागू करते हुए, मुद्दे पर हमारी राय यह है कि आवेदन के विचार की तारीख पर प्रचलित मानदंड, अनुकंपा नियुक्ति के दावे पर विचार करने का आधार होना चाहिए। सरकारी कर्मचारी की मृत्यु पर मिलने वाले किसी निहित अधिकार के अभाव में उसका आश्रित केवल अपने आवेदन पर विचार करने की मांग कर सकता है। हालाँकि, वह सरकारी कर्मचारी की मृत्यु के दिन, लागू मानदंडों के अनुसार विचार करने का हकदार नहीं है।

21. पूर्वगामी राय के मद्देनजर, हम कर्नाटक उच्च न्यायालय द्वारा पुष्टि की गई ट्रिब्यूनल के दृष्टिकोण का समर्थन करते हैं कि अपीलकर्ता अनुकंपा नियुक्ति के लिए अयोग्य थे जब उनके आवेदन पर विचार किया गया था और नियमों के नियम 5 के असंशोधित प्रावधान नहीं होंगे। उन पर आवेदन करें. चूँकि आक्षेपित निर्णयों में कोई दुर्बलता नहीं पाई गई है, अपीलों को गुणहीन पाया गया है और उन्हें खारिज कर दिया गया है।

कल्पना के. त्रिपाठी अपील खारिज।

आशीष तिवारी द्वारा अनुवादि।